भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1315
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : चाय बागान श्रमिकों का कल्याण
1315. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार की असम में चाय बागान कामगारों के कल्याण, कार्यदशाओं और मजदूरी में सुधार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) असम के चाय बागानों में शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कुशल कामगारों की कमी से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और
(ग) क्या चाय बागान कामगारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देख-रेख, आवास और शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित करने के लिए सरकार की कोई कल्याणकारी योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): उत्तर बंगाल क्षेत्र के चाय बागानों सहित बागान श्रमिकों की कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से बागान श्रम अधिनियम, 1951 द्वारा नियंत्रित और निगरानी की जाती है, जिसके लिए उनके द्वारा अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। उक्त अधिनियम का उद्देश्य एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी है जो कार्यों की निष्पक्ष और मानवीय स्थितियों को सुनिश्चित करता है, बागान श्रमिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए आवास, चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि को बढ़ावा देता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से चाय बागान श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का क्रियान्वयन करती है।

असम सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से असम के चाय बागानों में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए कई पहल की हैं। ये पहल चाय बागानों के श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने, रोजगार क्षमता में सुधार लाने और चाय उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

असम कौशल विकास मिशन (ए.एस.डी.एम.) के तहत चाय की खेती, तोड़ाई, छंटाई, कीट प्रबंधन और मशीनीकरण में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) को भी उन्नत किया है और चाय उत्पादक क्षेत्रों में वृक्षारोपण प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-आधारित उद्योगों में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए हैं। भारतीय चाय बोर्ड, भारतीय कृषि कौशल परिषद (ए.एस.सी.आई.) के साथ साझेदारी में, चाय बागान श्रमिकों के लिए कौशल-निर्माण कार्यशालाएं और प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करता है।

इसके अतिरिक्त, असम सरकार चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राज्य सरकार का चाय जनजाति कल्याण विभाग चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसरों पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। एस.वी.ए.वाई.ई.एम. (स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना) जैसे कार्यक्रम चाय बागान श्रमिकों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हैं।

****